(JO Code U.P.– UP6477)

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०–05, आजमगढ़।

Bail Application–4310/2022

C.N.R No–UPAZ010084522022

1– सुबाष राम उम्र लगभग ५० वर्ष पुत्र सूर्यबली, साकिन रसूलपुर, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....विपक्षी

मु०अ०सं०–४४१/२०२२
अन्तर्गत धारा–३७९,४११ भा०दं०वि०।
थाना–कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

दिनांक–१८.१०.२०२२

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **सुबाष राम** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या–४४१/२२ अंतर्गत धारा–३७९, ४११ भा०दं०सं० थाना–कोतवाली, जिला आजमगढ में जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक १८.०९.२०२२ से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, आजमगढ़ निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में **ज्ञानमती देवी** द्वारा शपथपत्र दाखिल करते हुए जमानत में दिये गये तथ्यों को सही व सत्य बताया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि "वादी मुकदमा जगदीश राजभर द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक १२.०९.२०२२ को दीवानी कचहरी अपनी जमानत कराने अपने दामाद के नाम से पंजीकृत गाड़ी मोटर साइकिल हुण्डा सुपर गाड़ी जिसका रजि०नं० UP50AD4068 है, दीवानी कचहरी के रोड के पूरब पटरी गाड़ी खड़ी किया था। गाड़ी खड़ा करके कचहरी में समय ११.०० बजे दिन में सी.जे.एम. कोर्ट आजमगढ़ में गया था, वापस आकर प्रार्थी ने देखा तो गाड़ी वहां पर नहीं थी। काफी खोजबीन किया परंतु गाड़ी नहीं मिली। प्रार्थी को विश्वास है कि प्रार्थी की गाड़ी अज्ञात चोर चुरा लिए है।"

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि "प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, मात्र रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन कथानक फर्जी एवं मनगढ़न्त एवं साक्ष्य से परे है और थाने पर गढ़ी गई है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक१८.०९.२०२२ से जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गई।

जबकि विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की मोटर साइकिल चोरी करने जैसा अपराध कारित किया गया है। जिस गाड़ी को वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय परिसर के पास खड़ा किया था। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा सहायक जिला शासकीय

अधिवक्ता (फौजदारी) के बहस को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा की गाड़ी मोटर साइकिल हुण्डा सुपर गाड़ी रजि०नं० UP50AD4068 है को अज्ञात द्वारा चोरी कर ले जाने का कथन किया गया है। मामला प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक १८.०९.२०२२ से जनपद कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध हैं। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी जारी है। प्रकरण के निस्तारण में समय लगना सम्भावित है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **सुबाष राम** की तरफ से मुकदमा अपराध संख्या**–४४१/२२** अंतर्गत धारा**–३७९, ४११ भा०दं०सं०** थाना–**कोतवाली**, जिला **आजमगढ** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुब०**–५०,०००/–(पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो विश्वनीय प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर दाखिल करने पर तथा निम्न शर्तों के अधीन उन्हें जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

01– आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण मुकदमा में सहयोग करेगा, प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, अनावश्यक स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा एवं साक्षियों पर अनुचित दबाव नहीं बनाएगा।

02–आवेदक/अभियुक्त सम्बंधित मुकदमें में आरोप विरचन, बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किये जाने तथा बहस हेतु नियत तिथियों पर अथवा न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

03– आवेदक/अभियुक्त किसी अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में परीक्षण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दि०–१८.१०.२०२२

(राम गोपाल सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं०–०५, आजमगढ़।